कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक:एफ( )कार्मिक / 2025–26 / 3950 दिनांक– 10/06/2025

विज्ञप्ति

इस कार्यालय अधीन पशुधन सहायक के 1 (एक) रिक्त पद हेतु अत्यावश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुपालन विभाग द्वारा इस पद पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति किये जाने की दिनांक तक नियमानुसार नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभागीय वेबसाईट https://forest.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं एवं कार्यालय समय में अन्तिम दिनांक से पूर्व कार्य दिवस तक इस कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेज मय छायाप्रति कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं में दिनांक 18 जून 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करवाये जा सकते हैं।

(उदा राम सियोल)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

आवेदन पत्र

अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर पशुधन सहायक के पद बाबत नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित जिले का नाम ....
2. आवेदित श्रेणी **(Unreserved/SC/ST/BC/MBC/EWS)**...
   (नोटः–रिक्त एक पद **Unreserved Category** का है)
3. आवेदित उप श्रेणी (विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, निःशक्तजन)...........................
4. आवेदन का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रजी में)...
5. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रजी में)...
6. जन्म दिनांक......................................दिनांक 18.06.2025 को आयु................वर्ष...........माह..............दिन.....
7. लिंग (महिला/पुरूष)....................................
8. जाति......................................संवर्ग**(General/SC/ST/BC/MBC/EWS etc.)**......................................
9. शैक्षणिक विवरण

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	**12th**					
2	**AHDP**					

10. गृह जिला...
11. स्थायी निवास का पता...
12. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नम्बर/ई–मेल एड्रेस...
    ....
    ....
13. दिनांक 31.05.2002 को जीवित संतानों की संख्या...
14. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके बाद जीवित संतानों की संख्या...
15. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण..
    ....

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गयी समस्त सूचना पूर्णतया सत्य हैं एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ/हुई हूं। मैं अपना आवेदन जिला .... में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा/रही हूं।
निर्धारित शपथ पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (मूल एवं स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों के दो अतिरिक्त सेट संलग्न है)

संलग्न कुल पृष्ठ–
दिनांक–
स्थान–

आवेदन के हस्ताक्षर एवं नाम

अत्यावश्यक अस्थाई आधार (**Urgent Temporary Basis**) पर पशुधन सहायक की चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं आवश्यक शर्तें :—

आवेदन के साथ निम्नानुसार वर्णित समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है—

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) का नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी। जन्म दिनांक हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं तथा डिप्लोमा)/जाति प्रमाण पत्र/राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/संतान संबंधी घोषणा—पत्र (सामान्य कागज पर — प्रारूप संलग्न) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक—पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से पूर्व के नहीं हो, पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र (**Driving Licence**, आधार कार्ड, पासपोर्ट अथवा वोटर आई.डी.) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (स्व—प्रमाणित फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वृद्धि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी को कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं के अधीनस्थ पदस्थापन के अलावा अन्यत्र, अन्य जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
7. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
8. कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबद्ध (**Undertaking**) दिया जाना आवश्यक होगा।
9. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रूपये 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जायेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग में अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होगे, अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
13. प्रारंभिक रूप में अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर दी जाने वाली उक्त नियुक्तियां पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किये जाने की दिनांक तक नियमानुसार नियत पारिश्रमिक के लिए होगी।
14. अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता/लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।
15. चयन का आधार पूर्णतया मेरिट होगा। चयन हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा—

    निर्धारित योग्यता — सीनियर सैकण्डरी एवं राजूवास से संबद्धता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।

    चयन का आधार—चयन का आधार पूर्णतया मेरिट से होगा जो कि सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत का औसत (दशमलव के दो अंक तक) होगा। समान मेरिट होने पर क्रमशः पहले पशुपालन डिप्लोमा के अधिक अंक (प्रतिशत) एवं तत्पश्चात सीनियर सैकण्डरी के अधिक अंक (प्रतिशत) को एवं उसके बाद जन्म दिनांक पूर्व की होने को वरीयता दी जाएगी।
16. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश राजकाज रेफरेन्स नं. 14745741 दि. 15.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार रिक्त पदों पर स्वीकृति पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक तक ही प्रभावी रहेगी।

जिला	अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या
झुंझुनूं	01 पद (अनारक्षित श्रेणी)

(शपथ पत्र राशि रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...

.आयु.............................जाति..................................निवासी...

....जिला.................................

शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि:–

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य हैं। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये हैं।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियमानुसार नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचन देता हूं।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूं, मैंने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया हैं तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है/नहीं दिया है।
6. मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ/हुई हूं।
7. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी, ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी।
8. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....

.सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 08 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

संतान संबंधी घोषणा पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..

आयु............................जाति..................................निवासी...

....जिला.................................एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि:–

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या .... थी।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

3. दिनांक 01 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या .... है।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

हस्ताक्षर

नाम– ....

पता– ....

....

कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं

अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर पशुधन सहायक के पद बाबत नियुक्ति आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

प्रार्थी का नाम...

CHECK LIST		
1	आवेदन पत्र	
2	10वीं की अंक तालिका व प्रमाण–पत्र	
3	12वीं की अंक तालिका व प्रमाण–पत्र	
4	दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की अंक तालिका व प्रमाण–पत्र	
5	मूल निवास प्रमाण–पत्र	
6	विकलांगता प्रमाण–पत्र	
7	विधवा/परित्याकता प्रमाण–पत्र	
8	विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र	
9	संतान संबंधी प्रमाण–पत्र	
10	दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (6 माह से पुराने नहीं)	
11	100/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित	

आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज का 01 (एक) सेट व आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की दो छायाप्रतियां कुल 03 (तीन) प्रतियां संलग्न करें।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता का नाम, पता एवं मोबाईल नं.)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं

आवेदन पत्र क्रमांक–

कुल प्राप्त दस्तावेज–

मीमो

1		
2		
3		

उक्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाए हैं। अतः आज दिनांक .... को.......................बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करावें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

दस्तावेज प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प० 12(1)वन/2018-01204 जयपुर, दिनांक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषयः-पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशुधन सहायक की आवश्यक अस्थाई आधार पर सेवाएं लिये जाने बाबत।

संदर्भः-प्रमुवस (हॉफ) कार्यालय की पत्रावली क्रमांक f6()2022/karmik/-vividh/pccf-07915-Part File(13)-6913218

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग में वर्तमान में आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत 02 पशुचिकित्सकों एवं 15 पशुधन सहायकों के कार्यकाल को दिनांक 31.08.2025 तक बढाये जाने हेतु आरपीएससी एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।

अतः संदर्भित एकल पत्रावली के कम में वित्त विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार आवश्यक अस्थाई आधार पर रिक्त 15 पशुचिकित्सक एवं 18 पशुधन सहायको को आवश्यक अस्थाई आधार पर भरने हेतु पशु चिकित्सको के संबंध में राजस्थान पशुपालना सेवा नियम 1963 के नियम 26 एवं पशुधन सहयको के संबंध में राजस्थान पुशपालन अधिनस्थ सेवा नियम 1977 के नियम 25 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह वित्त विभाग की आई.डी संख्या 172500652 दिनांक 29.03.2025 से अनुमोदित है।

सलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक कुमार योगी)
शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Yogi
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.04.07 15:52:56 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.6( )2022/कार्मिक–विविध/प्रमुवसं/ दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षर

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वन के पत्रांक प.12 (1) वन/2018–01204 दिनांक 07.04.2025 द्वारा विभाग में पशु चिकित्सको तथा नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्तियां वन विभाग द्वारा किये जाने की सहमति वित्त विभाग की आई डी संख्या 172500652 दिनांक 29.03.2025 के अनुसरण में प्रदान की गई है।

नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के रिक्त पदों पर राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम 1977 के नियम 25 के अनुसार आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्तियां जिला स्तर पर विकेन्द्रीत आधार पर की जानी है।

अतः संबंधित उप वन संरक्षकगण, संयुक्त शासन सचिव, वन के पत्रांक प.12 (1) वन/2018–01204 दिनांक 07.04.2025 में वर्णित निर्देशों के अनुसरण में नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के निम्नानुसार रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्तियां जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत आधार पर करना सुनिश्चित करें:–

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यालय का नाम	रिक्त पद
1	चित्तौडगढ़	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौड़गढ़	1
2	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	1
3	हनुमानगढ़	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	1
4	जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर	2
5	झुन्झुनू	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	1
6	जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	2
7	कोटा	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा	2
8	राजसमन्द	उप वन संरक्षक, राजसमन्द	1
9	सिरोही	उप वन संरक्षक, वन्यजीव आबूपर्वत	1
10	उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	2
11	नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर	1
		योग	15

नोटः–

1. यह स्वीकृतिं पशु पालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक तक ही प्रभावी रहेगी।
2. पशु चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की जावेगी।
3. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति पशु चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) को देय मानदेय, आवश्यक अस्थाई [illegible] पालन

Signature valid
Digitally signed by Anil Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2025.04.15 16:47:38 IST
Reason: Approved

विभाग के सेवा नियमों/भर्ती प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप ही रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नः– संयुक्त शासन सचिव, वन के पत्र दिनांक 07.04.2025

(अरिजित बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.6( )2022/कार्मिक–विविध/प्रमुवसं/ दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा।
6. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाईमाधोपुर/सरिस्का टाईगर रिजर्व, अलवर/मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा।
7. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
8. संबंधित उप वन संरक्षकगण (प्रादेशिक/वन्यजीव)।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2025.04.15 16:47:38 IST
Reason: Approved